संख्या- 69 /2018 / 866 /चार-2018 -08 (बजट)/ 2018

प्रेषक,

जगत राज
सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 30 मार्च, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजकीय बौद्ध संग्रहालय, पिपरहवा-सिद्धार्थ नगर भवन से मुख्य सम्पर्क मार्ग तक सी0सी0 रोड तथा सबरसिबल पम्प व बोरिंग तथा छत पर दो टंकी फिटिंग आदि कार्य हेतु प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1601/उ0प्र0सं0नि0-1(56)/2017-18 दिनांक 28 मार्च, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजकीय बौद्ध संग्रहालय, पिपरहवा-सिद्धार्थ नगर भवन से मुख्य सम्पर्क मार्ग तक सी0सी0 रोड तथा सबरसिबल पम्प व बोरिंग तथा छत पर दो टंकी फिटिंग आदि कार्य हेतु कार्यदायी संस्था-सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम द्वारा धनराशि रू0 17.72 लाख का आगणन गठित कर उपलब्ध कराया गया है। इस सम्बन्ध में गठित विभागीय मूल्यांकन समिति द्वारा प्राप्त आगणन का परीक्षण करते हुए कार्य की मूल्यांकित लागत रू0 17.26 लाख निर्धारित की गयी है।

2- अतएव वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजकीय बौद्ध संग्रहालय, पिपरहवा-सिद्धार्थ नगर भवन से मुख्य सम्पर्क मार्ग तक सी0सी0 रोड तथा सबरसिबल पम्प व बोरिंग तथा छत पर दो टंकी फिटिंग आदि कार्य हेतु रू0 17.26 लाख (रूपये सतरह लाख छब्बीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) निदेशक, संग्रहालय यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता , मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, संग्रहालय निदेशालय की होगी।

(2) निदेशक, संग्रहालय यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(3) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(4) निदेशक, संग्रहालय यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(5) निदेशक, संग्रहालय द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त, 2017 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

(6) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृति धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा

3 - उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 2205-कला एवं संस्कृति-107-संग्रहालय-03-अधिष्ठान व्यय-42-अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई- 7-318 /दस-2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(जगत राज)
सचिव

संख्या- /2018/866 /चार-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम) लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4,
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 वन्दना वर्मा)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।